

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/फिजियो./एम 63/2018/


दिनांक:

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री अब्दुल वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट को 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है :-


सं.	नाम कर्मचारी व पद	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में पूर्ण सेवा अवधि	पे-बेण्ड	ग्रेड पे
1	श्री अब्दुल वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी झालावाड़।	6.4.89	6.4.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000/-

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

  
( राकेश शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/फिजियो./एम 63/2018/73 दिनांक: 1.2.18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अधीक्षक, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय कृपया आदेश प्रति को संबंधित अधिकारी की ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर